

- 1-संबंधित प्रधानाचार्य,
मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
- 2-संबंधित अधीक्षक,
संलग्न चिकित्सालय संघ, राजस्थान

विषय:- एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध हेतु चयनित जीएनएम को कार्यग्रहण कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मा0 चुनाव आयोग द्वारा 15 वीं लोकसभा के लिये आम चुनाव की घोषणा दिनांक-2.3.09 को कर दी गई है, जिससे जनहित के सभी कार्यों पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है।

निदेशालय द्वारा एनआरएचएम योजना के तहत व्यक्तिगत अनुबन्ध हेतु चयनित जीएनएम जिन्हें आपके अधीन लगाया गया है उन अभ्यर्थियों में से यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आचार संहिता प्रभावी होने पूर्व आपको उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है, तो ऐसे अभ्यर्थियों से आचार संहिता लागू होने के पश्चात अग्रिम निर्देशों तक उपस्थिति नहीं ली जावे।

आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व उपस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके अभ्यर्थियों को उपस्थिति प्रस्तुत करने के संबंध में मा0 चुनाव आयोग से शिथिलता प्राप्त की जा रही है।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-ई-20/मस्वाका/ (सी-248)/09/226 दिनांक:- 3-3-09
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।